न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मोहनराम पुत्र मगनाराम जाट वगैरह		
प्रा.पत्र नम्बर 196/2021	**GCMS No.2022/250**	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17.06.2022	अप्रार्थी / खातेदार गुमानाराम पुत्र हरलाराम जाट राणासर द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं वचन पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पनवाड़ी के खसरा नम्बर 398 / 46 में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है, जिसका बंटवारा डिक्री आदेश माननीय न्यायालय द्वारा बअनुवान गुमानाराम बनाम उर्मिला वगैरह में पारित किया गया है जिसकी पालना तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपेक्षित है, परन्तु माननीय न्यायालय में उक्त प्रकरण में तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थीगण सहखातेदारान के विरूद्व एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके कारण उक्त डिक्री आदेश की पालना की जाना शेष है तथा भूमि के बंटवारे का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही करवाया जा रहा है एवं अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण नही हो पा रही है। अतः माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नही हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। भूमि के बंटवारे का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में नही करवाया जा रहा है एवं अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण नही हो पा रही है। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त खसरान से संबंधित डिक्री आदेश जारी किया गया है, जिसकी पालना कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में यह भी नही दर्शाया गया है कि किन किन खातेदारान द्वारा कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन किया गया है, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नही है, उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साबित नही है तथा इस न्यायालय के द्वारा जारी डिक्री आदेश की पालना भी आवश्यक होने से पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	